जाति पंचायत प्रशासनिक व्यवस्था

असुर जनजाति की शासन प्रणाली

असुर समाज पुरानी पारम्परिक प्रथा से संचालित होता है। गांव में असुर पंचायत हैं, जिनके पदाधिकारी महतो, बैगा, पुजार, गोदात आदि हैं। पंचायत में कम से कम पांच गांवों के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में रहते हैं। पंचायत में सभी वयस्क पुरुष भाग लेते हैं।

पंचायत गांव से जुड़े सभी तरह के विवादों का समाधान करती है। यह अपराधियों और दोषियों को भी दंडित करती है और समाज में एकता बनाए रखती है। यहां शारीरिक और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान देखा जाता है। सामाजिक बहिष्कार का दंड विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाता है। आधुनिक सरकारी पंचायतों की स्थापना के बाद परम्परागत पंचायतों की सक्रिय भूमिका कमजोर होती जा रही है, फिर भी ये पंचायतें अधिकतर कार्यों को अंजाम देती दिखाई देती हैं।

बंजारा जनजाति की शासन प्रणाली

बंजारा भी झारखंड की 32 अनुसूचित जनजातियों में से एक घुमकड़ जनजाति है। इन्हें झारखंड के लगभग सभी इलाकों में देखा जाता है, लेकिन उनके मुख्य केंद्रित स्थल संथाल परगना का राजमहल और दुमका क्षेत्र है। इन्हें 'नायक' द्वारा शासित सामुदायिक परिषद द्वारा चलाया जाता है। नायक का चुनाव बंजारा जनजातियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उनके द्वारा बंजारा सेवक संघ के नाम से एक संगठन भी बनाया गया है। तय आवास नहीं होने के कारण उनकी परम्परागत पंचायतें मजबूत नहीं बन पाई हैं। इसलिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, संगत सरकारी नीति और सहायता की आवश्यकता है।

बाथूडी जनजाति की शासन प्रणाली

झारखंड में उनके रहने का मुख्य क्षेत्र सिंहभूम है। बाथूड़ी में एक पारम्परिक पंचायत है, जो एक जातीय संगठन है। इसके मुखिया को 'देहरी' कहा जाता है, जो एक पुजारी का काम भी करता है। यह पद वंशानुगत होता है। प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। पंचायत द्वारा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किया जाता है। उनका अपना प्रथागत कानून है। संपत्ति विवाद के आलोक में मामलों की सुनवाई पंचायत द्वारा की जाती है। उनकी एक अंतरग्राम पंचायत भी है, जिसके मुखिया को प्रधान कहा जाता है।

बेडिया जनजाति की शासन प्रणाली

ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। कभी-कभी उन्हें महतो या 'ओहदार' भी कहा जाता है। गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाला सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान होता है। उनके सहायक को 'गोदात' कहा जाता है। गोदात का मुख्य कार्य गांव की समस्याओं के बारे में मुखिया से संवाद करना और मुखिया के निर्णय या आदेशों की जानकारी ग्रामीणों तक देना है। कई गांवों को मिलाकर प्रधान द्वारा 'सरकार' का चुनाव किया जाता है, जो अंतरग्राम-संघर्षों और विवादों को हल करती है। सबसे पुराने मुखिया को 'परगनैत' कहा जाता है। सभी पद वंशानुगत हैं।

बिंझिया जनजाति की शासन प्रणाली

बिंझिया झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। बिंझिया जनजाति के गांव में जाति पंचायत होती है, जिसके दो मुखिया होते हैं - माड़ी और गड्डी। शारीरिक दंड या जुर्माना सामान्य सजा है। गोमांस खाने की एकमात्र सजा जाति से बहिष्कार है और लोगों के लिए समाज में फिर से प्रवेश करना असंभव है। प्रतिनिधि समिति में प्रत्येक परिवार के प्रतिनिधि होते हैं, जिनके मुखिया को 'करताहा' कहा जाता है। उनका फैसला सभी के लिए मान्य है।

बैगा जनजाति की शासन प्रणाली

बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंध रखती है। ये मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, हजारीबाग आदि जिलों में निवास करते हैं। बैगा में समाज संगठन गोत्र या ग्राम स्तर पर पाया जाता है। गांव स्तर पर उनकी परम्परागत जातीय पंचायत है। ग्राम संगठन के मुखिया को "मुकद्दम" कहा जाता है। यह पद वंशानुगत है। गांव में धार्मिक प्रधान या पुजारी भी है, लेकिन कभी-कभी या कहीं पर पुजारी का अधिकार मुखिया के पास ही होता है। प्रधान का सहायक 'सयाना' और 'सिखन' है। ये दोनों पद ग्रामीणों द्वारा चुने जाते हैं। गांव में महामारी फैलने की स्थिति में किसानों के रोग या बीमारी के कारण पंचायत की भूमिका स्पष्ट हो जाती है।

भूमिज जनजाति की शासन प्रणाली

भूमिज झारखंड के प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह की जनजाति है। यह एक जनजाति है जिसे जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है। ये मुख्य रूप से सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, लातेहर, पलामू, दुमका, जामतारा, देवघर जिले में निवास करते हैं। घने जंगलों में रहने वाले भूमिज को कभी 'चुहाड' उपनाम से जाना जाता था। भूमिज की अपनी जातीय पंचायत है। इसके मुखिया को 'प्रधान' कहा जाता है। यह पद वंशानुगत है। एकांत विवाह वर्जित है और ऐसा करना अपराध माना जाता है। व्यभिचार को गंभीर अपराध माना जाता है

चेरो जनजाति की शासन प्रणाली

चेरो झारखंड की एक प्राचीन जनजाति है, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इन्हें बारह हजारी और तेरह हजारी के नाम से भी जाना जाता है। वे मुख्य रूप से लातेहार, पलामू, गढ़वा जिले में निवास करते हैं। गांव और अंचल स्तर पर पंचायत के मुखिया को 'मुखिया' कहा जाता है और जिला स्तर पर उन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। पंचायत का फैसला अंतिम है। नियमों का उल्लंघन करने पर जाति-बहिष्कार भी किया जाता है।

कोल जनजाति की शासन प्रणाली

कोल जनजाति को 2003 में झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में मान्यता मिली थी। प्रजाति समूह के दृष्टिकोण से, कोल को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत रखा गया है। कहा जाता है कि उनकी भाषा संथाली जैसी ही है। झारखंड में कोल मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिडीह आदि जिलों में पाये जाते हैं। उनमें से अधिकांश का 'बी' ब्लड ग्रुप है। वे सरना धर्म के अनुयायी हैं और सिंगबोंगा को

सर्वशक्तिमान देवता मानते हैं। कोलों में राजनीतिक चेतना का पूरा अभाव है। मांझी के नेतृत्व में परम्परागत पंचायतें प्रचलित हैं। ये पंचायतें अपने सभी जातीय, सामाजिक और आपसी विवादों का समाधान करती हैं। पंचायत का फैसला अक्सर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

कोरा (कोडा) जनजाति की शासी प्रणाली

कोरा की एक पारम्परिक ग्राम पंचायत है, जिसके मुखिया को 'महतो' कहा जाता है। गांव के सभी परिवारों के मुखिया पंचायत के सदस्य होते हैं और महतो इसके अध्यक्ष होते हैं। महतो को उनके काम में सहायता करने के लिए जोगामांझी होता है। पंचायत का फैसला सभी के लिए अंतिम है। कोई लिखित कानून नहीं है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण, कुछ परंपराएं, नियम, आदर्श और प्रथाएं हैं, जिन्हें कानून के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस पंचायत में घरेलू झगड़े, संपत्ति विवाद, व्यभिचार, पत्नी-प्रताड़ना, जादू-टोना, डायन का शिकार, इत्यादि से जुड़े मामले निपटाए जाते हैं।

कोरवा जनजाति की शासन प्रणाली

कोरवा के लगभग हर गांव की अपनी पारम्परिक जाति पंचायत है। जाति पंचायत में संपत्ति बंटवारे, पति-पत्नी के झगड़े, विवाहेतर यौन संबंध, सहमति या अंतरजातीय विवाह, तलाक, जादू-टोना आदि से जुड़े विवाद सुलझाए जाते हैं। सबूतों के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। शपथ लेकर गवाहों की सत्यता का परीक्षण किया जाता है। जब कोई व्यक्ति जाति से बाहर शादी करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है या जाति से बहिष्कार करने की सजा सुनाई जाती है। बहिष्कृत व्यक्ति को भोजन चढ़ाने के बाद समाज में शामिल किया जाता है। इसे भातबिहार कहा जाता है। जाति पंचायत के अलावा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनका शासन प्रधान द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सदस्य अंतरसरकारी विवादों का निपटारा करते हैं, जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। वह समुदाय के प्रतिष्ठित और प्रख्यात व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। सभी महत्वपूर्ण त्योहारों और समारोहों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है।